

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर - 273009

वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र
व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा
उद्धृत विभाग का नाम दिया

पत्रांक: 1628 / सम्बद्धता / 2006

दिनांक: 29 / 08 / 2006

सेवा में,

प्रबन्धक,
भवानी प्रसाद पाण्डेय महाविद्यालय,
करीमनगर, चरगाओं, गोरखपुर।

विषय: बी० एड० प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक: 26.08.2006 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति
जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन सहर्ष प्रदान करने की
कृपा की है:-


क्र. सं.	प्रवक्ता का नाम	विषय	स्नातकोत्तर के विषय
1. ✓	डा० इन्दू मारहाज	विभागाध्यक्ष	इतिहास
2.	श्री महेश्वर शर्मा	प्रवक्ता बी० एड०	अर्थशास्त्र
3.	डा० अशोक कुमार उपाध्याय	प्रवक्ता बी० एड०	हिन्दी
4.	श्री रवि प्रताप सिंह	प्रवक्ता बी० एड०	प्रा० इतिहास
5.	श्री रवि कुमार पाण्डेय	प्रवक्ता बी० एड०	प्रा० इतिहास

EXPIRED

1. महाविद्यालय में प्रवक्ताओं की नियुक्ति शासनादेश संख्या: 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक: 09, मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार संविदा पर करके, संविदा की एक प्रति एवं नियुक्त प्रवक्ताओं के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. शासनादेश संख्या: 759/सत्तर-2-2005-2(85)/97 दिनांक: 11, मार्च, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाले आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा शिक्षकों को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाण्टपेयी वेतन के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
3. प्रवक्ताओं की नियुक्ति में आरक्षण अधिनियम 1994 क अन्तर्गत रोस्टर भी सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक: 1. शासनादेश संख्या: 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक: 09, मई, 2000 की प्रति।
2. शासनादेश संख्या: 759/सत्तर-2-2005-2(85)/97 दिनांक: 11, मार्च, 2005 की प्रति।

भवदीय,


कुलसचिव

कार्यालय - 0551 - 2340363

आवास - 0551 - 2201507

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर - 273009

इस कार्यालय को भेज जान
वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र
व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा
उद्धृत विभाग का नाम दिया

पत्रांक: २/६९/सम्बद्धता/२००६

दिनांक: ०७/१२/२००६

सेवा में,

प्रबन्धक,
भवानी प्रसाद पाण्डेय महाविद्यालय,
करीमनगर, चरगावाँ, गोरखपुर।

विषय: बी० एड० प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन।

महोदय,

उर्पर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक: शून्य के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है:-

क्र. सं.	प्रवक्ता का नाम	विषय	स्नातकोत्तर के विषय
1.	श्रीमती उमा त्रिपाठी	प्रवक्ता बी० एड०	संस्कृत
2.	श्रीमती सुनीता राय	प्रवक्ता बी० एड०	प्रा० इतिहास
3.	श्री जयप्रकाश मणि	प्रवक्ता बी० एड०	वाणिज्य
4.	श्री आशीष कुमार सिंह	प्रवक्ता बी० एड०	संस्कृत
5.	श्री अजय कुमार सिंह	प्रवक्ता बी० एड०	गणित
6.	कु० प्रीती सिंह	प्रवक्ता बी० एड०	राजनीतिशास्त्र
7.	श्री कमलेश कुमार त्रिपाठी	प्रवक्ता बी० एड०	प्राणि विज्ञान

- महाविद्यालय में प्रवक्ताओं की नियुक्ति शासनादेश संख्या: 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक: 09, मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार संविदा पर करके, संविदा की एक प्रति एवं नियुक्त प्रवक्ताओं के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- शासनादेश संख्या: 759/सत्तर-2-2005-2(85)/97 दिनांक: 11, मार्च, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा शिक्षकों को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
- प्रवक्ताओं की नियुक्ति में आरक्षण अधिनियम 1994 के अन्तर्गत रोस्टर भी सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक: 1. शासनादेश संख्या: 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक: 09, मई, 2000 की प्रति।
2. शासनादेश संख्या: 759/सत्तर-2-2005-2(85)/97 दिनांक: 11, मार्च, 2005 की प्रति।

भवदीय,

कुलसचिव

कार्यालय - 0551 -- 2340363

त - 0551 -- 2201507



इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय।

कुलसचिव,

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,

गोरखपुर - 273009

पत्रांक 5069 / सम्बद्धता / 2011

सेवा में

प्रबन्धक,

भवानी प्रसाद पाण्डेय स्नातकोत्तर महाविद्यालय

करीमनगर, चरगावा, गोरखपुर।

दिनांक 20/10/2011

विषय: स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत प्रवक्त्याओं के चयन का अनुमोदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 12.09.2011 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत प्रवक्त्याओं के चयन का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है -

प्रवक्ता

क्र.सं.	प्रवक्ता का नाम	विषय
1.	श्री कृष्ण कुमार मिश्र	प्रवक्ता वी0एड0
2. ✓	श्रीमती अमृता श्रीवास्तव	प्रवक्ता वी0एड0

शर्तें -

1. महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्या 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार संविदा पर करके, संविदा की एक प्रति एवं नियुक्त प्राचार्य/प्रवक्ता के कार्यालय पहण प्रमाण-पत्र की छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का करंट करें।
2. शासनादेश संख्या 759/सत्तर-2-2005-2(85)/97 दिनांक 11, मार्च, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन आदि का समस्त उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेंसी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
3. प्रवक्ता की नियुक्ति में आरक्षण अधिनियम 1994 के अन्तर्गत रजिस्टर भी सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक:

1. शासनादेश संख्या 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक 09, मई, 2000 की प्रति।
2. शासनादेश संख्या 759/सत्तर-2-2005-2(85)/97 दिनांक 11, मार्च, 2005 की प्रति।

भवदीय,

कुलसचिव

20/10/2011

प्रबन्धक

भवानी प्रसाद पाण्डेय महाविद्यालय
करीमनगर,



इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय।

सचिव,
मानदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर - 273009

दिनांक 09/जुलाई/2015

पत्रांक : दीवउगोविवि/सम्बद्धता/2015/806

सेवा में,

प्रबन्धक,
भवानी प्रसाद पाण्डेय पी0जी0 कालेज, करीमनगर, गोरखपुर।

विषय : स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत प्रवक्ताओं के चयन अनुमोदन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 07-07-2015 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 35947/2015 में पारित आदेश दिनांक 02-07-2015 के अनुपालन में कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति एवं प्रबंध समिति की स्वीकृति के आधार पर स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन इस शर्त के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है कि इन शिक्षकों के किसी अन्य महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में कार्यरत/अनुमोदन होने की दशा में इस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।

क्र.सं.	प्रवक्ता का नाम	पिता का नाम	विषय
✓1	सर्जुन कुमार	नन्दलाल यादव	प्रवक्ता, बी0एड0 (शिक्षण विषय)
✓2	राम मोहन उपाध्याय	इन्द्रदेव उपाध्याय	प्रवक्ता, बी0एड0 (शिक्षण विषय)
✓3	सूर्य नारायण	लाल बहादुर यादव	प्रवक्ता, बी0एड0 (शिक्षण विषय)
✓4	पप्पू	अनोखे लाल	प्रवक्ता, बी0एड0 (शिक्षण विषय)
✓5	धीरज सिंह	मातिवर सिंह	प्रवक्ता, बी0एड0 (शिक्षण विषय)
✓6	देवेन्द्र कुमार यादव	राम अचल यादव	प्रवक्ता, बी0एड0 (शिक्षा के परिप्रेक्ष्य)
✓7	पंकज कुमार पाण्डेय	स्वामी नाथ पाण्डेय	प्रवक्ता, बी0एड0 (शिक्षा के परिप्रेक्ष्य)
✓8	लाल साहन यादव	राम दवर यादव	प्रवक्ता, बी0एड0 (शिक्षा के परिप्रेक्ष्य)
✓9	संतोष कुमार	यीरबहु	प्रवक्ता, बी0एड0 (शारीरिक शिक्षा)
✓10	शिवांशी भूषण	भारत भूषण	प्रवक्ता, बी0एड0 (ललित कला)

नोट-

- कुलपति जी के आदेशानुसार दीप्ती गुप्ता मुन्नी ईश्वर देव का चयन का अनुमोदन नहीं किया जा सकता है क्योंकि उक्त चयन समिति में डॉ0 मनोज कुमार कुलपति नामिनी के स्थान पर डॉ0 जगदीश सिंह को चयन समिति में बैठया गया है।
- इन संख्या 01 से 10 तक चयनित प्रवक्ताओं में नेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नेट प्रमाणपत्रों की सुपरिजांच से वैरिफिकेशन एक माह के अन्दर करा कर प्रस्तुत करने का कष्ट करें। एक माह के अन्दर उक्त प्रमाणपत्रों का वैरिफिकेशन सम्बंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त चयनित अभ्यर्थियों का चयन/अनुमोदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

अन्य बातें-

- महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्या 2443/सत्तर-2-2000-2(88)/97 दिनांक 09 मई, 2000 में दिये गये प्रवक्ताओं के अनुसार नियुक्ति-पत्र, फोटो सहित सविदा की प्रमाणित छायाप्रति एवं नियुक्त प्राचार्य/प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अनुबंध-पत्र में समयवधि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय एवं शासनादेश संख्या 808/70-2-2013-18(88)/2013 दिनांक 30 मई, 2013 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार यह व्यवस्था की जाती है कि कोई प्रतिकूल परिस्थिति न होने पर प्रबन्ध तंत्र संबंधित विश्वविद्यालय के अनुमोदन से शिक्षकों की सविदा का नवीनीकरण अपने स्तर से करते रहेंगे किन्तु प्रतिकूल परिस्थिति होने पर संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा।
- शासनादेश संख्या 908/70-2-2013-18(88)/2013 दिनांक 30 मई, 2013 में उल्लिखित निर्देशों के अनुषंग महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों से शुल्क के रूप में जो सकल धनराशि प्राप्त होती है उसे एक ही बैंक के खाते में रखा जाना उचित होगा और प्रति माह विभिन्न पाठ्यक्रमों की सकल आय का 75 से 80 प्रतिशत धनराशि शिक्षकों के वेतन पर व्यय को सुनिश्चित करने हेतु कार्य का संचालन महाविद्यालय के प्रबंधक एवं प्राचार्य के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। शासनादेश संख्या 788/सत्तर-2-2008-2(88)/97 दिनांक 11 मार्च, 2008 में उल्लिखित निर्देशों के साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अभ्यापकों एवं शिक्षणकार कर्मियों को एकाउण्टपेवी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
- अभ्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्ट्रिब्यूटरी प्राविडेंट फंड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

प्रबन्धक,

भवानी प्रसाद पाण्डेय पी0जी0 कालेज,
करीमनगर,

भवदीय,



इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय।

उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर - 273009

सम्बद्धता/2016/527

दिनांक 18.1.2016

प्रबन्धक,
भवानी प्रसाद पाण्डेय पी0जी0 कालेज, करीमनगर,
गोरखपुर (उ0प्र0)।

विषय : स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवक्ता के चयन का अनुमोदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 05.05.2016 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवक्ता के चयन का अनुमोदन इस शर्त के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है कि इन शिक्षकों के किसी अन्य महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय में कार्यरत/ अनुमोदन होने की दशा में इस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।

क्र.सं.	प्रवक्ता का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	विषय
1	प्रिया श्रीवास्तव	विनोद कुमार श्रीवास्तव	10.07.1993	प्रवक्ता, बी0एड0 (निष्पादन कला)

नोट-

- उपर्युक्त चयनित प्रवक्ता का अनुमोदन इस शर्त के साथ किया गया है कि यदि यह प्रकाश में आता है कि उक्त शिक्षक कहीं अन्यत्र कार्यरत हैं, तो उनका अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।
- अनुमोदित प्रवक्ता का वेतनमान/वेतन का स्पष्ट उल्लेख नियुक्ति पत्र एवं संविदा पत्र में करते हुए एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की स्थिति में अनुमोदन निरस्त माना जायेगा।

शर्तें-

- महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्या 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति पत्र, फोटो सहित संविदा की प्रमाणित छायाप्रति एवं नियुक्त प्राचार्य/प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अनुबंध पत्र में समयावधि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
- शासनादेश संख्या 968/सत्तर-2-2013-18(99)/2013 दिनांक 30, मई, 2013 में उल्लिखित निर्देश के अनुसार महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के छात्रों के शुल्क से प्राप्त सकल आय का 75 से 80 प्रतिशत संख्या द्वारा शिक्षकों के वेतन में व्यय किया जाय तथा शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबंध पत्र में दिये जाने वाले वेतनमान/वेतन, अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेदी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
- अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्ट्रीब्यूटरी प्रॉविडेंट फंड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय

कुलसचिव

प्रबंधक

भवानी प्रसाद पाण्डेय महाविद्यालय
करीमनगर, चरगावा, गोरखपुर